सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व वाद संख्या – 1788/2017

पीठासीन अधिकारीः– श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

लक्ष्मण पुत्र श्रीकिशन जाति रेगर निवासी ग्राम सांकरिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर

वादी

बनाम

1. मगना पुत्र बरदा जाति रेगर
2. छगना पुत्र बरदा जाति रेगर
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार केकडी तहसील केकड़ी जिला अजमेर राज.

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः– 27.06.2018

पत्रावली आज केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प गुलगांव में पेश हुई। वादी उपस्थित। पेरोकार सरकार उपस्थित। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादी की वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम सांकरिया तहसील केकडी जिला अजमेर की जमाबन्दी स. 2072–75 के खाता स. 572 के खसरा नम्बर 593, 1261, 1448, 1449, 2678 कुल किता 5 कुल रकबा 3.29 हैक्ट. भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी 1 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी 2 का 1/3 हिस्सा है व इसी हिस्से अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज होते चले आ रहे है व आराजी को काश्त कर पैदावार लेते चले आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 आये दिन वादी के साथ लडाई–झगडा करते रहते है व वादी के हिस्से की आराजी पर जबरन कब्जा करने पर उतारू रहते है जिसके कारण वादी द्वारा यह वाद पेश किया गया है जिसे स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादीगण 1 व 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

हमने वादी का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। पत्रावली आज केम्प कोर्ट गुलगांव में पेश हुई। वादी उपस्थित। पेरोकार सरकार उपस्थित।

हमने पत्रावली व दस्तावेजों का अवलोकन किया। उपस्थित पक्षकारान को सुना। वादपत्र में प्रस्तुत जमाबन्दी संवत. 2072–75 के खाता स. 572 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 593, 1261, 1448, 1449, 2678 कुल किता 5 कुल रकबा 3.29 हैक्ट. की जमाबन्दी में रूकमा, छगना, मगना पि. बरदा कौम रेगर के नाम दर्ज खातेदार है जिसमें नामा.सं. 1496 दिनांक 08.06.2016 जरिये विक्रयपत्र से खातेदारों रूकमा पि. बरदा हि. 1/9 व छगना, मगना पि. बरदा हि. 2/9 के स्थान पर सम्पूर्ण खाते पर क्रेता लक्ष्मण पुत्र श्रीकिशन हि. 1/3 कौम रेगर सा.देह खातेदार दर्ज शेष हि. 2/3 जमा0 अनुसार छगना, मगना का हिस्सा बदस्तूर का नोट अंकित है। वादग्रस्त आराजीयात में वादी एवं प्रतिवादीगण 1 व 2 संयुक्त खातेदार दर्ज होने से वाद का संतुलन वादी के पक्ष में होने से वादी का वाद प्रेमाफेसाई केस होना जाहिर होता है।

अतः वादी का दावा वाके ग्राम ग्राम सांकरिया तहसील केकडी जिला अजमेर की जमाबन्दी स. 2072–75 के खाता स. 572 के खसरा नम्बर 593, 1261, 1448, 1449, 2678 कुल किता 5 कुल रकबा 3.29 हैक्ट. भूमि का मुताबिक जमाबन्दी में दर्ज हिस्से व मौके अनुसार बंटवारा किये जाने हेतु स्वीकार कर वादी का दावा डिक्री किया जाता है तथा प्रतिवादी स. 1 व 2 को वादी के हिस्से तक जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के हिस्से की आराजीयात के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करें एवं न ही वादी के हिस्से की आराजी में जबरन कब्जा करें। तहसीलदार केकड़ी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी का मुताबिक जमाबन्दी में दर्ज हिस्से व मौके अनुसार बंटवारा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा, ट्रेस के तैयार कर न्यायालय हाजा में पेश करें। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी